न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 47 / 2024
अनवान : –

1. सुनीता पुत्री बालचन्द पत्नी गौरी शंकर जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. मदन लाल पुत्र बाल चन्द जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः 06/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 54 / 56 की कुल 2.4660 हैक्ट भूमि में सायलान प्रत्येक का 1 / 9 हिस्सा एवं रोही मौजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के खाता स0 18 / 41 की कुल 2.2640 हैक्ट भूमि में सायलान का प्रत्येक का 1 / 9 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी स0 1 का नाम कमला देवी पुत्री बालचन्द व प्रार्थी स0 2 का नाम मदनचन्द पुत्र बालचन्द है जबकि प्रार्थीगण का सही नाम क्रमशः सुनीता देवी पत्नी गौरी शंकर व मदनलाल पुत्र बालचन्द है जो की प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में दर्ज है। अतः मुताबिक प्रार्थीगण के दस्तावेजों के नाम, प्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपना नाम क्रमश कमला देवी पुत्री बालचन्द व मदनचन्द पुत्र बालचन्द के स्थान पर सुनीता पत्नी गौरी शंकर व मदनलाल पुत्र बालचन्द दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का मुताबिक दस्तावेज पता दुरूस्त करे देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:06:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा प्रार्थीगण का नाम सही करने की अभिशंषा की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 54/56 की कुल 2.4660 हैक्ट भूमि में सायलान प्रत्येक का 1/9 हिस्सा एवं रोही मौजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के खाता स0 18/41 की कुल 2.2640 हैक्ट भूमि में सायलान का प्रत्येक का 1/9 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थीया अपना नाम क्रमश कमला देवी पुत्री बालचन्द व मदनचन्द पुत्र बालचन्द के स्थान पर सुनीता पत्नी गौरी शंकर व मदनलाल पुत्र बालचन्द करवाना चाहते है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में प्रार्थीगण का नाम सुनीता पत्नी गौरी शंकर व मदनलाल पुत्र बालचन्द अंकित है तथा तहसीलदार नोहर द्वारा भी प्रार्थीगण का नाम संशोधन किया जाना उचित है की अभिशंषा की गई है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 54/56 की कुल 2.4660 हैक्ट भूमि में सायलान प्रत्येक का 1/9 हिस्सा एवं रोही मौजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के खाता स0 18/41 की कुल 2.2640 हैक्ट भूमि में सायलान का प्रत्येक का 1/9 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थीगण का नाम क्रमशः **कमला देवी पुत्री बालचन्द के स्थान कमला देवी उर्फ सुनीता पुत्री बालचन्द पत्नी गौरी शंकर व मदनचन्द पुत्र बालचन्द के स्थान पर मदन लाल पुत्र बाल चन्द का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थीगण के नाम क्रमश कमला देवी पुत्री बालचन्द व मदनचन्द पुत्र बालचन्द के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थीगण के नाम कमला देवी पुत्री बालचन्द व मदनचन्द पुत्र बालचन्द के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीगण का नाम कमला देवी पुत्री बालचन्द व मदनचन्द पुत्र बालचन्द ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार होगे। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 06/08/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:06:31 IST
Reason: SelfAttested